प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 27.11.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 27.11.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 27.11.2024

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष अभियान के अंतर्गत जनपदीय मिशन शक्ति पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र में भ्रमण कर बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों के विषय में किया गया जागरुक-

शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वावलंबी, सशक्त बनाने और सुरक्षित माहौल प्रदान करने तथा उनके अधिकारों के सम्बंध में उनको जागरूक करने व उनके साथ घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोकथाम तथा उनमें सुरक्षा/आत्मविश्वास की भावना जागृत करने के उद्देश्य से समग्र अभियान "मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान" चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 27.11.2024 को नारी सुरक्षा/नारी सम्मान/नारी स्वावलंबन के प्रति जनपद के समस्त थानों की शक्ति दीदी/महिला बीट आरक्षियों/एण्टीरोमियों टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत बीट/गांव/मंदिरो/पॉर्को आदि में जाकर मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत चौपाल लगाकर बालिकाओं एवं महिलाओं की शिकायतों एवं समस्याओं की सुनवाई की गयी तथा "मिशन शक्ति फेज-05" के सम्बन्ध में सभी बालिकाओं/महिलाओं को जागरूक किया गया, उनकी समस्याओं को सुनते हुए उन्हें मनचलों, अराजक तत्वों से निपटने तथा आत्मरक्षा करने के लिए आवश्यक आत्मरक्षात्मक गुण सिखाये गये इसके साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस एव शासन द्वारा बालिकाओं/महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता हेतु संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे- 1090-वुमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076–मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा, साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण से संबंधित उ0प्र0 शासन की विभिन्न योजनाओं व प्राथमिकताओ के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित कर जागरूक किया गया।

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 06 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंशल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध जुआ/सट्टा पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रिया कलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 26.11.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह मय हमराह का0 मो0 कामिल, क0 कुलदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा ग्राम गुढा थाना चरखारी जनपद महोबा के पास सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 06 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.चन्द्र प्रकाश पुत्र स्व0 गनेशीलाल अहिरवार उम्र 33 वर्ष 2.वीरेन्द्र कुमार उर्फ राज पुत्र देवकरन सिंह राजपूत उम्र 28 वर्ष 3.शिया धोबी पुत्र स्व0 सरुवा उम्र 58 वर्ष 4.रामबाबू अहिरवार पुत्र स्व0 गनेशीलाल उम्र 40 वर्ष 5.वीरेन्द्र राजपूत पुत्र प्रकाश उम्र 32 वर्ष 6.नवल किशोर पुत्र राम प्रकाश राजपूत उम्र 40 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम गुढ़ा थाना चरखारी जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से जामातलाशी 800 रू0, मालफड़ 1800 रू0 कुल 2600/- रूपया व 52 अदद ताश पत्ते बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 285/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह
2. का0मो0 कामिल
3. का0 कुलदीप सिंह

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 27.11.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 27.11.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 सनय कुमार मय हमराह का0 वीरेश्वर दत्त मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 272/24 धारा 137(2)/74/351(2) BNS व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त मुन्ना उर्फ अनामत पुत्र सहादत उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मो0 नयापुरा गोलाघाट थाना चरखारी जनपद महोबा को गोलाघाट नयापुरा थाना चरखारी जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मुन्ना उर्फ अनामत पुत्र सहादत उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मो0 नयापुरा गोलाघाट थाना चरखारी जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सनय कुमार
2. का0 वीरेश्वर दत्त मिश्र

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने
01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 27.11.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 रामकृष्ण तिवारी मय हमराह कां0 शिवकुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त बृजमोहन उर्फ बृजगोपाल पुत्र भाईलाल अहिरवार निवासी ग्राम अकठौहा थाना चरखारी जनपद महोबा सम्बन्धित केस नं0 321/2012 धारा 323/325/504/506 IPC थाना चरखारी जनपद महोबा में मा0 न्यायालय सिविल जज(जू0डि0) जे0एम0 चरखारी द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

बृजमोहन उर्फ बृजगोपाल पुत्र भाईलाल अहिरवार निवासी ग्राम अकठौहा थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रामकृष्ण तिवारी
2. कां0 शिवकुमार

महोबा पुलिस

थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 26.11.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी श्री गुलाब त्रिपाठी द्वारा गठित की गई उ0नि0 कामता प्रसाद मिश्रा मय हमराह का0 सचिन विश्वकर्मा व म0का0 आरती के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 38/24 धारा 363 भादवि0 से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त मुकेश कुमार अहिरवार पुत्र स्व0 शिव कुमार उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम जराखर थाना मझगवां जनपद हमीरपुर को राठ तिराहा पनवाड़ी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मुकेश कुमार अहिरवार पुत्र स्व0 शिवकुमार उम्र लगभग 29 वर्ष निवासी ग्राम जराखर थाना मझगवां जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 कामता प्रसाद मिश्रा
2. का0 सचिन विश्वकर्मा
3. म0का0 आरती

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने चोरी करने वाले 02 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 1500/-1500/- रुपये सहित घटना में प्रयुक्त ब्लेड की गई बरामद-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक- 27.11.24 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर महोबा श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 611/24 धारा 303(2)317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1.बिच्छू उर्फ सन्तोष पुत्र ख्याली बराक उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम हसारी थाना प्रेमनगर जनपद झांसी 2.शिव कुमार पुत्र मोहन लाल रैदास उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम सहार थाना सहार जनपद औरैया को नया प्राइवेट बस स्टैण्ड के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी के 1500/- 1500/- रुपये व चोरी करने में प्रयुक्त स्टील ब्लेड बरामद किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल चौकी इन्चार्ज भटीपुरा थाना कोतवाली नगर
2. हे0का0 मुजीब अहमद

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. बिच्छू उर्फ सन्तोष पुत्र ख्याली बराक उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम हसारी थाना प्रेमनगर जनपद झांसी
2. शिव कुमार पुत्र मोहन लाल रैदास उम्र करीब 45 वर्ष नि0 ग्राम सहार थाना सहार जनपद औरैया

बरामदगी

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के माल के 1500/- 1500/- रुपये व चोरी में प्रयुक्त ब्लेड स्टील बरामद हुआ।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 27.11.2024

मीडिया सेल, महोबा

थाना कबरई की पुलिस टीम ने चोरी से सम्बन्धित वाछित अभियुक्त को चोरी की सम्पत्ति व अवैध शस्त्र के साथ किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 27.11.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित की गई उ0नि0 श्रीप्रकाश सिंह परिहार मय हमराह का0 शुभम कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 354/24 धारा 305/352/115(2)/351(3)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त अंकित सिंह पुत्र देवी सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम सुरहा थाना कबरई जनपद महोबा को याचाना तिराहा के पास ग्राम सुरहा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी का सामान क्रमशः 1.कसडिया (कलसा) स्टील चौड़े मुंह का एक अदद 2.कसडिया (कलसा) स्टील पतले मुंह एक अदद 3. दो कटोरी स्टील 4.छन्नी एक अदद स्टील 5.तसली छोटी स्टील एक अदद 6.लोटा स्टील एक आदद 7.कुकर एक अदद 2KG 8.थाली स्टील चार खाने की एक अदद 9.थाली स्टील दो अदद शादी 10.चटलोई अल्युमिनियम एक अदद छोटी 11.ग्लास स्टील एक अदद 12.कल्छुल स्टील एक अदद 13.चिमटा स्टील एक अदद व 600/- रुपये तथा अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद किया गया। अभियुक्त के कब्जे से हुई अवैध शस्त्र की बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 361/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्रीप्रकाश सिंह परिहार
2. कां0 शुभम कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त-

अंकित सिंह पुत्र देवी सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम सुरहा थाना कबरई जनपद महोबा

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 27.11.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

- **थाना अजनर पुलिस टीम ने हत्या का प्रयास करने वाली घटना का किया सफल अनावरण ।**
- **पारिवारिक विवाद को लेकर घटना का षडयंत्र रचने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व कारतूस बरामद।**

दिनांक 16.11.2024 को थाना अजनर पर अजय सिंह पुत्र गोटीराम यादव निवासी ग्राम मझगवां खुर्द थाना अजनर जनपद महोबा द्वारा प्रस्तुत तहरीर मे अंकित किया गया था कि मेरी बहिन शौचक्रिया के लिए गांव के बाहर रोड की तरफ गयी थी। पुराने परिवारिक विवाद को लेकर उनके देवर ने जान से मारने की नियत से गोली मार दी है। उपरोक्त प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अजनर पर मु0अ0स0 259/2024 धारा 109(1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत करते हुये पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में घटना के शीघ्र अनावरण व संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना स्थानीय पर टीमों का घटना कर दिया गया था जिसके क्रम में घटित टीमों द्वारा सीसीटीवी फुटेज व अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के माध्यम से साक्ष्य एकत्रित कर सूचना तंत्र को विकसित किया जा रहा था।

विवेचना के क्रम में सुरागरसी व पतारसी व अन्य माध्यमों से गहनता से जांचं करने पर मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्तगण 1.मुकेश पुत्र किशोरी यादव 2. लक्ष्मी यादव पुत्र नत्थू 3. सुरेश यादव पुत्र रामभजन की नामजदगी गलत पायी गयी तथा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त रामकिशन उर्फ रामकिशोर पुत्र स्व0 गुलजारी यादव उम्र करीब 45 वर्ष को मुखिबर की सूचना पर मझगंवा लेवा चौराहा से महुआबांध जाने वाली रोड से गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से हत्या के प्रयास में प्रयुक्त एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 269/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत करते हुये जेल भेजा गया।

पूछताछ का विवरणः-

रामकिशन उर्फ रामकिशोर से कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया गया कि साहब मैने दिनाँक 16.11.2024 को अपनी भतीजी बबिता को जान से मारने की नियत से गोली मारी थी गोली मारने का कारण पूछा गया तो बताया कि साहब मेरा भतीजा राजकुमार ने अपने ससुर नत्थू यादव निवासी ग्राम गुढ़ा थाना लवकुशनगर जिला छतरपुर (म0प्र0) की हत्या कर दी थी जिसमें नत्थू यादव के पुत्र लक्ष्मीयादव के द्वारा थाना लवकुशनगर में मुकदमा लिखवाया था उस मुकदमे में मेरे भतीजे राजकुमार को लक्ष्मी यादव व मुकेश की पत्नी कल्पना व सुरेश उर्फ महेश के पिता रामभजन की गवाही के कारण सजा होने वाली है उसी मुकदमे में लक्ष्मी व मुकेश की पत्नी कल्पना व सुरेश उर्फ महेश के पिता रामभजन गवाही न दे, इसी कारण मैने जब बबिता को गोली मारी थी तब शोर शराबा कर दिया था कि मुकेश, लक्ष्मी व सुरेश उर्फ महेश मोटरसाइकिल से आये और बबिता को गोली मारकर भाग गये इसी झूठी घटना की रिपोर्ट मेरे भतीजे अजय ने थाना अजनर में लिखवा दी थी । इस प्रकार आरोपी अपना जुर्म इकबाल कर रहा हैं।

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

रामकिशन उर्फ रामकिशोर पुत्र स्व0 गुलजारी यादव उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम मझगवाँ खुर्द थाना अजनर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 मलखान सिंह
2. का0 धीरज कन्नौजिया
3. का0 तुषार सिंह

थाना अजनर पुलिस टीम द्वारा षडयंत्र के तहत विपक्षी को फंसाने के उद्देश्य से कूटरचित फायरिंग की घटना कारित करने वाले वादी पक्ष के परिवारीजन से घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र बरामद करते हुये विवेचना में सम्मलित कर जेल भेजा गया।

दिनांक 16.11.2024 को थाना अजनर पर अजय सिंह पुत्र गोटीराम यादव निवासी ग्राम मझगवां खुर्द थाना अजनर जनपद महोबा द्वारा प्रस्तुत तहरीर मे अंकित किया गया था कि मेरी बहिन शौचक्रिया के लिए गयी थी। उनके देवर ने जान से मारने की नियत से गोली मार दी है। उपरोक्त प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अजनर पर मु0अ0स0 259/2024 धारा 109(1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत करते हुये पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में घटना के शीघ्र अनावरण व संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना स्थानीय पर टीमों का घटना कर किया गया था

विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त रामकिशन उर्फ रामकिशोर पुत्र स्व0 गुलजारी यादव उम्र करीब 45 वर्ष द्वारा षडयंत्र के तहत विपक्षी को फंसाने के उद्देश्य से कूटरचित फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था जिसको आज दिनाकं 27.11.2024 मुखिबर की सूचना पर मझगंवा लेवा चौराहा से महुआबांध जाने वाली रोड से गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से हत्या के प्रयास में प्रयुक्त एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 269/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत करते हुये जेल भेजा गया।

बरामदगी- घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

रामकिशन उर्फ रामकिशोर पुत्र स्व0 गुलजारी यादव उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम मझगवाँ खुर्द थाना अजनर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 मलखान सिंह 2. का0 धीरज कन्नौजिया 3. का0 तुषार सिंह